कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)
सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001
फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 546 2016/बिलासपुर/दिनांक – 26.03.2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.–1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act,1980 coming under to Construction of 765 KV D/C Jharsuguda-Dharamjaygarh 2nd Transmission Line.
पंजीयन कोड क्रमांक/FP/CG/TRANS/8080/2014

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/विद्युत/1182A, दिनांक 08.05.2015 एवं वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ का पत्र क्रमांक/636 दिनांक 09.02.2016

---o---

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता उप महाप्रबंधक पॉवर ग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रायगढ़ जिले द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़, धरमजयगढ़, कोरबा जिले के कोरबा वनमण्डल में कुल आरक्षित वन 79.194हे. संरक्षित वन 28.185हे. नारंगी वन 14.773हे. एवं राजस्व वनभूमि 31.295हे. कुल 153.448 हेक्ट. की मांग ट्रांसमिशन लाईन हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क 58000/– रूपये जमा कराये गये है।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.7 तक है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है एवं वन की Site Quality - III,IVA है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :–
   (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (ट्रांसमिशन लाईन) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।
   (iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

6. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित बिगड़े वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी रायगढ़, धरमजयगढ़ एवं कोरबा का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस बिगड़े वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 4,96,052/– प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।

7. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

8. परियोजना का Cost Benefit Analysis संलग्न है।

09. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।

10. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

11. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 153.448 हे. वन भूमि की Site Quality - III,IVA एवं घनत्व 0.1 से 0.7 तक है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।

13. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

राज्य के तरफ से प्रस्तावित अतिरिक्त शर्त –

14. हाथी विचरण क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईन के–कन्डक्टर के नीचे वृक्ष कटाई का चौड़ाई प्रस्तावित 10 मीटर से 3 मीटर तक कम किया जाये।

15. ट्रांसमिशन लाईन द्वारा व्यपवर्तन की जाने वाले वनभूमि, जहा वन्य प्राणी है, उक्त क्षेत्र के कैचमन्ट एरिया में वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर